

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-



श्री किशोर कुमार पुत्र ताराराम घांची
निवासी 74, टिम्बर मार्केट, समुरपेर, जिला
पाली

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 78 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>817/19</p> <p>24/7/19</p>	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर दोबारा सूचना लोक सूचना अधिकारी (D.S.O.) पाली को उपलब्ध कराते हेतु उनके निवेदन को हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा जॉरिए कोषक 924-25/10-7-19 के क्रिया जोण पा लोक सूचना अधिकारी (D.S.O.) पाली के दोबारा सूचना उनके कार्यालय के कोषक 281 डि. 10-6-2019 के द्वारा अपीलांत को उपलब्ध करे जोण आवश्यक प्रकृति प्रेषित करे है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी D.S.O पाली द्वारा अपीलांत को दोबारा सूचना उपलब्ध कराकी गिरे है। इसलिये इस न्यायालय हल से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नही रहेगी किन्तु अपील अपीलांत कोषक की जारी है।</p> <p>पत्रावली इस न्यायालय से जॉरिए शुभा फसल की आकर गमका (सक) हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलेक्टर, पाली </p>	<p>924-25 10.7.19</p>